81

Ajay Sikri
Coordinator
Uttarakhand

RADHA SOAMI SATSANG BEAS

Haridwar Bye Pass Road, Brahmanwala,
P.O. Majra 248 171 Distt. Dehradun (Uttarakhand)
Phone : 7895050000, 9837003548, Email - coordinator.zo1.uk@gmail.com

संख्या 512 /मु.म.आ.का./2021–2022
दिनांक 27-09-2021

Date: 27.09.2021

To,

Sh. Pushkar Singh Dhami

Honorable Chief Minister of Uttarakhand,

Dehradun

(पुष्कर सिंह धामी)
मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड

SUBJECT: REQUEST TO RESTART SATSANG AT VENUES OF UTTARAKHAND

Dear Sir,

Over the last few months, the sewadars at our vaccination centres in Uttarakhand have successfully vaccinated over 4 lakh individuals under your guidance and instructions. As the situation seems to be getting better and almost all sectors are opening up, this is a request for you to allow us to resume our satsang meetings as a spiritual society from 1st October. We will be following all the social distancing norms and will maintain the highest level of safety standards in the form of temperature checks, sanitization and operating at a lower capacity. Moreover, we wish to inform you that we have outdoor location in all our satsang places.

The way you have handled the Covid-19 situation is commendable and we are also thankful for having the chance to serve our countrymen under your guidance. We are thankful to your office, and sincerely hope that the situation gets better from this point forward.

We are attaching the GO/SOP for your reference of the states where our society is resuming our activities from 1st of October.

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–1
संख्या-VIP(M)/(A) 1592 /XXXV-1/2021(1)
दिनांक 29/09/2021

Thanking you with warm regards,

Yours Sincerely

AS(DM)-1
7-10-2021

Ajay Sikri

Coordinator, Uttarakhand.

92

Government of Punjab
Department of Home Affairs & Justice
(Home - 4 Branch)

To

1. All the Divisional Commissioners and the Deputy Commissioners in the State

2. All the Zonal IGPs, Commissioners of Police, DIGs and SSPs in the State

No. 7/56/2020/2H4/4890
Dated: Chandigarh, the 15th September, 2021

Sub: COVID-19 restrictions till 30th September, 2021.

To contain and manage Covid-19, in exercise of the power conferred under section 2 of the Epidemic Disease Act, 1897, read with all other enabling provisions of Disaster Management Act, 2005, following restrictions are imposed till 30th September 2021:-

a) Only passengers who are fully vaccinated, or Covid recovered, or with negative RTPCR report of last 72 hrs shall be allowed entry in Punjab. In case a passenger doesn't have either of these, RAT testing shall be mandatory. Passengers travelling by flights shall be mandatorily required to be fully vaccinated, or Covid recovered, or with negative RTPCR report of last 72 hrs.

b) Gatherings shall be restricted to not more than 150 persons indoors and 300 persons outdoors subject to an upper limit of 50 % of the capacity. Artists/ musicians shall be allowed at such functions/ celebrations with due COVID protocols.

c) Those organizing and managing festival gatherings shall ensure that only that staff is physically present who are either fully vaccinated or have had at least one dose of vaccine over 4 weeks ago. In addition, there shall also a limit to crowd gathering for any purpose to a maximum of 300 individuals at any given point, with proper COVID appropriate behavior and social distancing norms. These norms shall be mandatory for all crowded gatherings including those by political parties for rallies and meetings.

d) All bars, cinema halls, restaurants, spas, swimming pools, coaching centers, sports complexes, gyms, malls, museums, zoos, etc. shall be allowed to operate at 50 % of their capacity subject to all staff present being either fully vaccinated or having had at least one dose of vaccine over 4 weeks ago. All users of swimming, sports and gym facilities shall be persons over 18

43

years who have taken at least one dose of the vaccine. Strict COVID protocols shall be put in place for operations.

e) Schools shall continue to remain open. However, schools shall allow only those in the teaching and non-teaching staff to resume duties who are either fully vaccinated or have had at least one dose of vaccine over 4 weeks ago. All those with co-morbidities shall only be allowed once they are fully vaccinated. In addition, the school staff must as a precaution be regularly tested in those cases where they have been administered just one dose of vaccine. It is reiterated that testing must be proactively and aggressively done to prevent any outbreaks of the infection. Option of online learning must be available to the students. Tehsils/Blocks where positivity is above 0.2% should close primary classes 4 & below until situation improves.

f) Colleges, coaching centers and all other institutions of higher learning shall continue to remain open. This shall be subject to the condition that only those teaching/non-teaching staff members and students will be allowed to be physically present who are either fully vaccinated or have had at least one dose of vaccine over four weeks ago. All those with co-morbidities shall only be allowed once they are fully vaccinated. Option of online learning must be available to the students.

g) Teaching and non-teaching staff of colleges, coaching centers, institutions of higher learning, schools shall be prioritized for vaccination with special camps such that all are covered with first dose within this month. Those due for second dose should also be prioritized. Parents of school going children should be encouraged to immediately get vaccinated.

h) Hostels are allowed to open subject to adherence to strict guidelines and advisory as issued by Department of Health and Family Welfare.

2. District authorities shall also continue to ensure strict implementation of all the extant directives of MHA/State Government on Covid appropriate behaviour including social distancing wearing of face masks etc.

Anurag Verma, IAS
Principal Secretary (Home)

CC:

1. CPS/CM
2. CS
3. PSCM
4. All administrative Secretaries/Registrar- Punjab & Haryana High Court
5. DGP Punjab
6. ADGP-Law & Order

Rev (DMC) (C) 20-2/2020-COVID-19
Government of Himachal Pradesh
Revenue Department-Disaster Management Cell

Shimla 171002
Date 24th August 2021

ORDER

Taking note of the current situation of COVID-19 in the State it is observed that, though the number of COVID-19 patients, daily mortality and positivity rate is declining, and the situation is improving, however certain precautions and restrictions are still required to contain the spread and resurgence of the pandemic. Therefore, the undersigned in the capacity of the Chairman (SEC) in exercise of the powers conferred under section 22(2)(h) and section 24 of the Disaster Management Act 2005, hereby orders that:

1. All schools shall continue to remain close, except residential schools further up to **04.09.2021**. Teaching and non-teaching staff shall continue to attend the school. For residential schools SOPs developed by the Department of Education will be followed to contain the spread of COVID-19.
2. All social/ academic/ entertainment/ cultural/ political/ religious and other congregations are permitted up to **50% of the capacity in indoor built up/covered areas as well as in open spaces**. These restrictions are subject to strict observance of COVID-19 appropriate behavioural norms and social distancing. Wearing of face masks, maintaining social distancing, provision of thermal scanning and use of hand wash or sanitizer will be mandatory at all such venues.

Penal Provisions:

Any person violating these measures and not following COVID appropriate behavior will be liable to be proceeded against as per the provision of Section 51-60 of the Disaster Management Act, 2005, besides entailing legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable.

This order will come into effect immediately and shall remain in force till further orders.

Approved by

Ram Subhag Singh
Chief Secretary cum Chairman, SEC
Himachal Pradesh.

To

1. All the Administrative Secretaries to the GoHP
2. All the Head of Departments, Himachal Pradesh
3. All the Divisional Commissioner, Himachal Pradesh
4. All the Deputy Commissioner, Himachal Pradesh
5. The Director I&PR for wider dissemination.

85

Rev (DMC) (C) 20-2/2020-COVID-19
Government of Himachal Pradesh
Revenue Department-Disaster Management Cell

Shimla-171002
Date: 20th September, 2021

ORDER

Taking note of the present situation of COVID-19 active cases and positivity rate in the State, the undersigned in the capacity of the Chairman-State Executive Committee (SEC), in exercise of the powers conferred under Section 22(2)(h) and Section 24 of the Disaster Management Act 2005, and in continuation of earlier SEC orders, hereby directs that:

All schools shall continue to remain close, except residential schools further up to 25.09.2021. Teaching and non-teaching staff shall continue to attend the school. For residential schools SOPs developed by the Department of Education will be followed to contain the spread of COVID-19.

Penal Provisions:

Any person violating these measures and not following COVID appropriate behavior will be liable to be proceeded against as per the provision of Section 51-60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable.

This order will come into effect immediately and shall remain in force till further order and all other restrictions and relaxations shall remain same as per previous SEC orders.

Approved by

(Ram Subhag Singh)
Chief Secretary cum Chairperson,
State Executive Committee, Himachal Pradesh

To

1. All the Administrative Secretaries to the GoHP.
2. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
3. All the Divisional Commissioner, Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioner, Himachal Pradesh.
5. The Director I&PR for wider dissemination.

Copy for information to:

1. The Home Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India
2. All the Member of HPSDMA
3. All the Member of the HP State Executive Committee
4. The Principal PS-cum-Special Secretary to Hon'ble Chief Minister-cum-Chairperson HPSDMA

Principal Secretary (Revenue)
to the Government of Himachal Pradesh

Government of Haryana
Haryana State Disaster Management Authority

No. DMC-SPO-2020/10401 Dated: 18.09.2021

ORDER

Whereas vide order No. DMC-SPO-2020/5215 dated 02.05.2021, the State Executive Committee had initially declared a lockdown from 03.05.2021 (05:00 am onwards) to 10.05.2021 (till 05:00 am) and subsequently the same was extended from time to time, till 20.09.2021 in the State of Haryana.

Now, after duly considering the fact although the COVID-19 positivity rate and the number of new COVID-19 positive cases have declined, so as to continue the preventive and the precautionary measures to contain the COVID-19 pandemic, in exercise of the powers conferred under Section 22(2)(h) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned in my capacity as Chairperson, State Executive Committee hereby extends the **Mahamari Alert–Surakshit Haryana**'महामारी अलर्ट–सुरक्षित हरियाणा' for another fortnight, i.e., from 20.09.2021 (05:00 am onwards) to 04.10.2021 (till 05:00 am) in the State of Haryana alongwith guidelines to be implemented (during this period) issued vide earlier orders.

The following modification is provided in earlier orders:-

I. Colleges and Polytechnics are allowed to re-open for students with strict adherence of requisite social distancing norms, regular Covid appropriate behavioural norms, the guidelines as indicated in the SOPs released by Ministry of Health and Family Welfare, GOI and regular sanitization of the premises. Department of Higher Education and Department of Technical Education, Haryana will release guidelines for implementation of these orders immediately.

The following relaxations shall continue as permitted vide earlier orders:-

a. Vice Chancellors of residential Universities in the State are directed to continue conducting classes online till October 15, 2021. Decision to allow students to attend classes physically in residential Universities shall be taken on October 15, 2021 after assessing the prevalent COVID situation then. In the meanwhile the University administration may strive to ensure to get all students, faculty members and staff (including the outsourced ones) fully vaccinated and share the progress with the Department of Higher Education, Technical Education and Medical Education & Research as the case may be.

b. Restaurants and Bars (including in hotels and in malls) are allowed to open with 50% of the seating capacity and adopting requisite social distancing norms, regular sanitisation and COVID-19 appropriate behavioural norms.

c. Gyms and Spas are allowed to open with 50% capacity after adopting requisite social distancing norms, regular sanitisation and COVID-19 appropriate behavioural norms.

18/9/21

d. Club houses/ restaurants/ bars of the Golf Courses are allowed to open with 50% seating capacity with adherence to requisite social distancing and other COVID-19 appropriate safety norms. Members/visitors shall be allowed to play in Golf Courses by the management in a staggered manner so as to avoid overcrowding.

e. All shops and malls are allowed to open with adherence to requisite social distancing norms, regular sanitisation and COVID-19 appropriate behavioural norms.

f. Swimming Pools are allowed to open after adopting requisite social distancing norms, regular sanitisation and Covid appropriate behavioural norms. All swimmers/practitioners/eligible visitors and staff to preferably get vaccinated with both doses of COVID-19 vaccine.

g. In indoor spaces, gathering of upto 50% of the hall capacity are allowed with a ceiling of maximum 100 persons whereas in open spaces gathering will be allowed upto 200 persons subject to strict observance of COVID-19 appropriate bahavioural norms and social distancing measures.

h. Conduct of entrance and recruitment examinations by different Universities/Institutes/Government Departments and Recruitment Agencies are allowed in the State with strict implementation of "Revised SOP issued by Ministry of Health and Family Welfare, GOI dated 10.09.2020 regarding preventive measures to contain spread of COVID-19" as well as guidelines released by Central/State Government/Departments time to time.

i. Training centers in Haryana State established under the aegis of Haryana Skill Development Mission are allowed to open (by staggering of the trainees for maintaining social distancing as per prescribed Standing Operating Procedures and Guidelines issued by Ministry of Home Affairs, GOI, State Disaster Management Authority, Haryana, National Skill Development Corporation and Local Administration from time to time).

j. Coaching institutions, Libraries and Training Institutes (whether Government or private) are allowed to open with strict adherence of requisite social distancing norms, Covid appropriate behavioural norms guidelines as indicated in the SOPs released by Ministry of Health and Family Welfare, GOI and regular sanitisation of premises.

k. Industrial Training institutes (ITIs) are allowed to open for students for doubt classes, practical classes with strict adherence of requisite social distancing norms, regular sanitisation of the premises, Covid appropriate behavioural norms and guidelines as indicated in the SOPs released by Ministry of Health and Family Welfare, GOI. Department of Skill Development & Industrial Training, Haryana will release guidelines for implementation of these orders immediately.

18/9/21

l. Religious places are allowed to open with 50 persons at one time with the condition that they shall follow requisite social distancing norms, regular sanitisation and COVID-19 appropriate behavioural norms.

m. Corporate Offices are permitted to open with full attendance subject to strict observance of social distancing, COVID-19 appropriate behavioural norms and regular sanitisation.

n. All production units, establishments, Industries are permitted to function. However they shall strictly adhere to COVID-19 appropriate and prescribed guidelines, behavioural norms and Social distancing.

o. Sports Complexes, Stadia are permitted to open for sports activities including for outdoor sports activities except contact sports (Spectators will not be allowed). Sports Authorities shall ensure adherence of requisite social distancing norms, regular sanitisation of the premises and COVID-19 appropriate behavioural norms.

p. Cinema Halls (in malls and stand alone) are allowed to open with maximum 50% seating capacity with adherence of requisite social distancing norms, COVID-19 appropriate behavioural norms the guidelines as indicated in the SOPs released by Ministry of Health and Family Welfare, GOI, as well as regular sanitisation of the premises.

It is also advised that "No Mask-No Service" will be strictly observed in the State. People with face cover/mask only will be allowed to board public/private transport and enter any other government and private establishment for availing any services/goods.

There will be continuous focus on the fivefold strategy for effective management of COVID-19 i.e. Test-Trace-Track-Vaccination and adherence of COVID-19 appropriate behaviour.

The Deputy Commissioners of the concerned districts are hereby directed/authorised to implement the above mentioned relaxations strictly. For the enforcement of social distancing measures Deputy Commissioners may, if necessary, invoke the provisions of Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) of 1973. Any person violating these measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable.

18/9/21

(VIJAI VARDHAN)
Chief Secretary-cum-Chairperson
Haryana State Executive Committee

To

1. All Administrative Secretaries in the State of Haryana.
2. The Director General of Police.
3. All Deputy Commissioners in the State of Haryana.

Note: - HSDMA orders can be seen at our website https://revenueharyana.gov.in/. Any message not on the website may be treated as fake.

89

कार्यालय जिलामजिस्ट्रेट अमरोहा

संख्या : 2143 /न्याय सहा0 /कोविड–19/2021 दिनॉक 23–09–2021

संशोधित आदेश

मा0मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह(गोपन)अनुभाग–3, लखनऊ के आदेश संख्या : 1054/2021–सीएक्स–3 दिनॉक 19–06–2021, आदेश संख्या–1193/2021–सीएक्स–3 दिनॉक 11–07–2021, आदेश संख्या–1416/2021–सीएक्स–3 दिनॉक 11–08–2021 तथा आदेश संख्या–1483/2021–सीएक्स–3 दिनॉक 20–08–2021 तथा आदेश संख्या : 1589/2021 सीएक्स–3 दिनॉक 07–09–2021 के अनुपालन में जनपद में समय–समय पर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन सोमवार से रविवार तक प्रातः 6–00 बजे से रात्रि 11–00 बजे तक गतिविधियॉ अनुमन्य की गयी हैं।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह(गोपन)अनुभाग–3 लखनऊ के पत्र संख्या : 1653/2021–सीएक्स–3 दिनॉक 19–09–2021 के अनुपालन में, उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 19–06–2021, 11–07–2021, 11–08–2021, 20–08–2021 एवं 07–09–2021 के कम में शासनादेश दिनॉक 19–06–2021 की प्रस्तर–8(i) में उल्लिखित शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमन्यता के स्थान पर 100 व्यक्तियों की अनुमन्यता निम्नानुसार की जाती है :–

(i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति होगी।

(ii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठनें की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालय में साफ एवं सेनेटाईजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी।

उक्त के अतिरिक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या : 1054/2021–सीएक्स–3 दिनॉक 19जून, 2021 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
जिला मजिस्ट्रेट
अमरोहा

संख्या एवं तददिनॉकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ।
2–पुलिस अधीक्षक अमरोहा।
3–अपर जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
4–मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा।
5–मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद अमरोहा।
6–समस्त उपजिलामजिस्ट्रेट/क्षेत्राधिकारी पुलिस, जनपद–अमरोहा को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
7–जिला सूचना अधिकारी, अमरोहा को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जनहित में जनपद अमरोहा के समस्त समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया से निःशुल्क कराया जाना सुनिश्चित करें।
8–प्रभारी अधिकारी, इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर, जनपद–अमरोहा।
9–नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
10–समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट
अमरोहा

Scanned with CamSc

90

: आदेश :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या–550/USDMA-792(2020) दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के क्रम में कोरोना कर्फ्यू हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। तद्क्रम में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु जनपद हरिद्वार के सम्पूर्ण क्षेत्रों हेतु कोरोना कर्फ्यू के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 28 जुलाई, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है :–

1. जनपद में **COVID-Curfew** दिनांक **14.09.2021** प्रातः **06:00** बजे से दिनांक **21.09.2021** प्रातः **06:00** तक प्रभावी रहेगा।
2. जनपद के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) में अवस्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खुले रहेंगे, एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीठ बाजार संचालित किये जाते है, वह भी उक्त दिवसों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें सम्बन्धित एस0एच0ओ0, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी होंग, पीठ बाजार में दुकानों के बीच कम से कम (10 फीट) की दूरी के मानकों के साथ आवंटन करते हुए खुलवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. COVID-Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम जनपद में जारी रहेगा।
4. COVID -19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID - Curfew अवधि में विवाह समारोह में **अधिकतम 50 लोगों** को RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति नगरीय क्षेत्र हेतु नगर मजिस्ट्रेट तथा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. शवयात्रा में अधिकतम **50 लोग** ही सम्मिलित हो सकते हैं।
6. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी गयी मुहिम के तहत कोविड–19 महामारी की रोकथाम हेतु Health Professionals की Workforce तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे कि Emergency Medical Technician Basic, General duty Assistant (GDA), GDA-Advanced(Critical Care), Home Health aide, Medical Equipment Tecnology Assistant and phlebotomist जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0) के अन्तर्गत जनपद में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थायें कोविड–19 प्रोटोकोल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खेले रहेंगे।
7. जनपद के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (पत्राक संख्या–491/XXIV-B-5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021 एवं पत्राक संख्या–492/XXIV-B-5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021 के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कयिा जायेगा।
8. जनपद के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्व विद्यालय एवं समस्त शैक्षिक संस्थान को खोलने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जायेगी एवं उसका सम्बन्धित संस्थानों द्वारा कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. जनपद के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व गैर सरकारी) जो 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति

होगी।

10. जनपद के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

11. समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह/other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। परन्तु यदि उपरोक्त गतिविधियों हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया है तो ऐसी स्थिति में संचालन की अनुमति होगी।

12. जनपद में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु खोले जायेंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।

13. **जनपद के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथो को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्ती से कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।**

14. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के **15 दिनों** के उपरान्त एवं उन Vaccineted व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद" प्रदान की जायेगी। उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी। उन व्यक्तियों द्वारा जनपद में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW, GOI and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

15. बाहरी राज्यों से जनपद हरिद्वार में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही जनपद में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

16. बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal **'http://smartcitydehradun.uk.gov.in'** पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा जनपद में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

17. बाहरी राज्यों से जनपद में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रुप से **7 दिवसों तक Isolation** में रहेंगे। उक्त Isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर जा सकेंगे। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) पर आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund एवं CMRF Fund से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।

18. विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आवश्यकता के दृष्टिगत Quarantine Centers का संचालन किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाला व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund (SDRF) के COVID Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।

19. COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों का निरन्तर **Sanitization** करवाना सुनिश्चित करेगें।

20. **COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है :–**

20 .A समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी। जैसे:

i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।

ii. डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।

iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।

iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID–19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।

v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।

vi. COVID–19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।

vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।

viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

20.B. समस्त वित्तीय संस्थानों/अधिष्ठान (Related to Banking, Finance & Insurance) अपने कार्य अवधि के अनुसार कार्यालय संचालन की अनुमति है। संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किया जायेगा। जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.C. <u>निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7) :</u>

i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे–पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

ii. जनपद स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।

iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

iv. जनपद में नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।

v. टेलीकॉम टावरों के रख–रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन ।

vi. COVID-Curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेंगी।

20.D. <u>वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:</u>

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खुले रहेंगे, एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी।

95

ii. जनपद के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए **50 प्रतिशत क्षमता** के साथ खुलेंगे।

iii. जनपद में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए **50 प्रतिशत क्षमता** के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम ~~एवं खेल के मैदान~~ को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

iv. समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी **(प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक)।**

v. COVID Curfew के दौरान नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक बन्दी की निर्धारित तिथि के दिन नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़–भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर **Sanitization** करवाना सुनिश्चित करेगें।

vi. **जनपद के समस्त पर्यटन स्थलों में नगर मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक/एस0एच0ओ0/एस0ओ0 से समन्वय स्थापित करते हुए सप्ताहांत (Weekend) में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियत्रंण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत एवं संख्या निर्धारित करते हुए पर्यटकों को सप्ताहांत (Weekend) में आवाजाही/भ्रमण की अनुमति दी जा सकती हैं एवं अन्य कोई प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है तो उक्त के सम्बन्ध में कार्ययोजना/Action Plan तैयार करते हुए कल दिनांक 17 अगस्त, 2021 की सायं तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान COVID Appropriate Behaviour का अनुपालन कड़ाई से सम्बन्धित पर्यटक स्थलों के प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा, एवं उल्लघंन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्ती से कारवाई सुनिश्चित की जायेगी।**

<u>होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :</u>

vii. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल **50 प्रतिशत क्षमता** के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

viii. नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे <u>रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक</u> बंद रहेंगे।

ix. होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

<u>निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप **(24X7)** में अनुमन्य है।</u>

i. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर–राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

ii. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

iii. ~~ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि~~ द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। जनपद

के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

iv. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

v. प्रिटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

vi. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

vii. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

viii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।

ix. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।

x. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख–रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।

xi. ऑटो–मोबाईल मरम्मत की दुकानें।

xii. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान।

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

20 E. परिवहन :

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative Test Report के साथ (COVID Vaccine के दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में) ही जनपद में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

ii. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अधीन जारी रहेगा।

iii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।

iv. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं एवं कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बोर्डर के माध्यम से यात्रा कर रहे है (अन्तर्राज्यीय) उन्हें राज्य सरकार के Smart City e-pass portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

v. बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा जनपद में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

vi. जनपद हरिद्वार में अस्थी विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocal के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal

http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative Test Report की अनिवार्यता (COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में) के साथ ही जनपद में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

vii. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर–राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24X7) अनुमति है।

viii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों के गोदामो में सामान की लोड करने/उतारने की (24X7) अनुमति हैं।

ix. अधिकारियों/कर्मियों को अपने संगठनों/संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत (24X7) अनुमति है।

x. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24X7) दी जाएगी।

xi. ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24x7) है।

xii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24X7) होगी।

xiii. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24X7) होगी।

xiv. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर–राज्यीय आयात–निर्यात आवागमन की अनुमति (24X7) है।

xv. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24X7) है।

xvi. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24X7) है।

20 F. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24X7):

i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य–बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि।

ii. कृषि/बागवानी/फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे–खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।

iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।

iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां।

20 G. सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24X7) के संबंध में:

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol. यथासंभव उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा किया जायेगा या उद्योग मैनेजमेन्ट द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों को उद्योगों

के परिसर में ही रहने का प्रबन्धन किया जायेगा।

ii. उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।

20 H. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24X7) होगी :

i. सभी निर्माण गतिविधियों तथा उनमे कार्यरत वाहन/मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

ii. निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी या ठेकेदार द्वारा निमार्ण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा।

iii. राजकीय व निजी निर्माण स्थलों मे कार्यरत कार्मिकों/मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा।

20 I. भारत सरकार के कार्यालय :

i. भारत सरकार के समस्त आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभाग एवं कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं 100 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे।

ii. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश सं-492/XXXi(15)जी/2020-04(सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 तथा इस कार्यालय के आदेश संख्या-11009/13-आ0प्र0-कोविड-19-हरिद्वार दिनांक 26 जुलाई, 2021 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

20 J. राज्य सरकार के कार्यालय :

i. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश सं-492/XXXi(15)जी/2020-04(सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 तथा इस कार्यालय के आदेश संख्या-11009/13-आ0प्र0-कोविड-19-हरिद्वार दिनांक 26 जुलाई, 2021 के अनुपालन में जनपद के समस्त शासकीय कार्यालय एवं विभाग 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।

ii. पुलिस, होम गार्ड/पीआरडी, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उपनल डिजास्टर मैनेजमेंट, कारागार, म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे तथा बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे।

iii. वन कार्यालयः-चिड़ियाघर के संचालन और रख-रखाव नर्सरी, वन्यजीव, वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तद्सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी/श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित आवागमन व परिवहन, वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर संबंधित गतिविधियाँ।

iv. विधानसभा, सचिवालय, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय, कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे।

v. सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार/प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 ड्यूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

vi. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारी/अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते है तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते है।

20.K. **Offices of the Private/ Civil Society Sector:**

i. निजी/कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालयों में **पूर्ण मानव शक्ति (Work Force) के साथ काम करेंगे** और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।

20.L. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं0 40-34/2020-DM-I(A) दिनांक 19 जून, 2021 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश (संलग्न) जैसे देश में R Factor को बढ़ावा न मिले उसके लिए सही कदम उठाना एवं COVID Curfew खुलने के दौरान Covid ppropriate behavior के तहत Fivefold Strategy; test-track-treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior एवं इस पत्र में उल्लेखित अन्य जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20 M. **General Directives for COVID-19 Management:**

जनपद में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

20.N. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है :-

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. Persons with co-morbidities.
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

20.O. दंड के प्रावधान:

i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु समय-समय पर जारी भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन तथा जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व **Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act** 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमो की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

13/09/2021

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
हरिद्वार।

24

कार्यालय जिलाधिकारी/जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांकः 1115३/13–आ0प्र0–DEOC/2021–22 दिनांकः 13 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– मुख्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ।
02– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी।
03– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की बिन्दु संख्या–13 एवं बिन्दु संख्या–20D VI के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक को कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
04– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
05– अपर जिलाधिकारी प्रशासन/वित्त एवं राजस्व, हरिद्वार।
06– मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
07– समस्त उप–जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार/नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या–13 एवं बिन्दु संख्या–20D VI के सम्बन्ध में कड़ाई अनुपालन कराते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
08– समस्त नोडल/प्रभारी अधिकारी, कोविड–19 जनपद हरिद्वार।
09– नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार/रुडकी।
10– सहायक श्रमायुक्त, हरिद्वार।
11– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
12– प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन हरिद्वार/नोडल कोविड–19 कंट्रोल रुम, हरिद्वार।
13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद् जनपद हरिद्वार।
14– प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कलेक्ट्रेट हरिद्वार।
15– आपदा प्रबन्धन अधिकारी, हरिद्वार।
16– सर्वसम्बन्धितों को अनुपालनार्थ।

13/09/2021

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
हरिद्वार।

संख्या : 558/**USDMA/792(2020)**

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 20 सितम्बर, 2021

विषयः कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु **'COVID - Curfew'** (दिनांक 21 सितम्बर से 05 अक्टूबर, 2021) के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदया/महोदय,

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्याः 550/USDMA/792(2020), जो दिनांक 13 सितम्बर, 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या : 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 28 अगस्त, 2021 के प्रावधानों (संलग्न–Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के साथ बढ़ाया जाता है:–

1. राज्य में **COVID Curfew** दिनांक **21.09.2021** प्रातः **06:00** बजे से दिनांक **05.10.2021** प्रातः **06:00** तक प्रभावी रहेगा।
2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लिखित दिशा–निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
4. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID - Curfew अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इन समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वाइंट प्रबन्धन/स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज लगाने का प्रमाण–पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जिन व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनको RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) दिखाना अनिवार्य होगा।

कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र अथवा COVID Negative Test Report की जांच सम्बन्धित विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइन्ट प्रबन्धन द्वारा अनिवार्य रूप से करते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराया जायेगा।

5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

6. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु Health-Professionals की Workforce तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे कि Emergency Medical Technician-Basic, General Duty Assistant (GDA), GDA-Advanced (Critical Care), Home Health Aide, Medical Equipment Technology Assistant and Phlebotomist जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अन्तर्गत सभी जनपदों में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।

7. **विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि (पत्रांक सं0 491/XXIV-B-5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021 एवं 492/XXIV-B-5/2021-03(01)/2021 दिनांक 31.07.2021) (कक्षा 06 से 12 तक), मानक प्रचलन विधि पत्रांक सं0 625/XXIV-A-1/2021-14/2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2021 (कक्षा 01 से 05 तक) तथा समय-समय पर जारी विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

8. राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक, महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त शैक्षिक संस्थान को खोलने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा मानक प्रचलन विधि कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने हेतु पृथक से जारी की जायेगी एवं उसका सम्बन्धित संस्थानों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) को 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति होगी।

10. राज्य के समस्त कोचिंग संस्थानों जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

11. समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक समारोह/ other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें। परन्तु यदि उपरोक्त गतिविधियों हेतु सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हुआ है, तो ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।

12. राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिज़र्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के साथ संचालन किया जायेगा।

13. राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (Weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

14. COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन Vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चेक पोस्ट पर Vaccination का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखण्ड में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जायेगी परन्तु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW, GOI and राज्य सरकार की SOP एवं COVID Safety Protocol अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

15. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

16. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal **'http://smartcitydehradun.uk.gov.in'** पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

17. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेंगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा। तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।

18. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।

19. COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़–भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

20. COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट प्रदान की जाती है :–

20.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी। जैसे:

i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।

ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।

iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।

iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID–19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।

v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।

vi. COVID–19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।

vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।

viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

20.B. समस्त वित्तीय संस्थानों/अधिष्ठान (Related to Banking, Finance & Insurance) अपने कार्य अवधि के अनुसार कार्यालय संचालन की अनुमति है। जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

20.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7) :

i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे–पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।

iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

iv. राज्य में नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।

v. टेलीकॉम टावरों के रख–रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन।

vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

20.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी।

ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

iv. समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक)।

v. COVID Curfew के दौरान जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बन्दी की निर्धारित तिथि के दिन नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मण्डी आदि भीड़–भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

vi. राज्य में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर वर्तमान में सप्ताहांत (Weekend) में हो रही भीड़ का आंकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों की क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत पर्यटकों को सप्ताहांत में आवाजाही/भ्रमण की अनुमति दी जा सकती है एवं अन्य कोई प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है तो संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर इन पर्यटक स्थलों पर लागू करेगें। इस दौरान COVID Appropriate Behaviour का अनुपालन कड़ाई से संबंधित पर्यटक स्थलों के प्रशासन द्वारा किया जायेगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कारवाई सुनिश्चित की जाए।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों :

vii. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

viii. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।

ix. होटलों में स्थित Conferance Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

<u>निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमन्य है।</u>

x. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर–राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

xi. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

xii. ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फिलपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

xiii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

xiv. प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

xv. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

xvi. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

xvii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।

xviii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

xix. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख–रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।

xx. ऑटो–मोबाईल मरम्मत की दुकानें।

xxi. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान।

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

20.E. <u>परिवहन:</u>

i. Inter-State movement of public transport shall continue to operate with 100% occupancy and subject to SOPs issued by State Transport Department. Passengers travelling to the State by air, bus, railways and private vehicles/ taxi shall register on Smart City e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** of Uttarakhand Government prior to commencement of their journey. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT

Negative Test Report के साथ (COVID Vaccine के दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में) ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।

ii. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से **(Intra-state and Inter-state)** आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अधीन जारी रहेगा।

iii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।

iv. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय), उन्हें राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** पर पंजीकरण करवाना होगा।

v. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal **(http://smartcitydehradun.uk.gov.in)** पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

vi. जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocol के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के **Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in** पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report की अनिवार्यता (COVID Vaccine की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में) के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

vii. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है।

viii. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24x7) अनुमति है।

ix. अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने संगठनों/संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत (24x7) अनुमति है।

x. रैलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24x7) दी जाएगी।

xi. ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति (24x7) है।

xii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24x7) होगी।

xiii. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति (24x7) होगी।

xiv. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात–निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है।

xv. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24x7) है।

xvi. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24x7) है।

20.F. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24x7) :–

i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:–बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि।

ii. कृषि/बागवानी/फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे–खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।

iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति शृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।

iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां।

20.G. सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24x7) के संबंध में:

i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol.

ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएगें।

20.H. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24x7) होगी :

i. सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमे कार्यरत वाहन/मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

ii. निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक

लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा की जायेगी या ठेकेदार द्वारा निमार्ण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबन्ध किया जायेगा।

iii. राजकीय व निजी निर्माण स्थलों में कार्यरत् कार्मिकों/मजदूरों की आवाजाही हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया एवं COVID–19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा।

20.I. भारत सरकार के कार्यालय :

i. राज्य में स्थित भारत सरकार के समस्त विभाग एवं कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं 100 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे।

ii. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आदेश सं–492/XXXi(15)जी/ 2021–04(सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (छायाप्रति संलग्न – Appendix - 02)।

20.J. राज्य सरकार के कार्यालय :

i. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश सं–492/XXXi(15)जी/ 2021–04(सा)/2021 दिनांक 26 जुलाई, 2021 के क्रम में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय एवं विभाग 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेगें (छायाप्रति संलग्न – Appendix - 02)।

ii. पुलिस, होमगार्डस/पीआरडी, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उपनल, डिजास्टर मैनेजमेंट, कारागार, म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ–साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे और बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे।

iii. वन कार्यालयः–चिड़ियाघर के संचालन और रख–रखाव, नर्सरी, वन्यजीव, वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तद्सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी/श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित आवागमन व परिवहन, वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर से संबंधित गतिविधियाँ।

iv. विधानसभा, सचिवालय, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय, कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे।

v. सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार/प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा COVID–19 ड्यूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

vi. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं।

20.K. Offices of the Private/ Civil Society Sector:

i. निजी/कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्रों के कार्यालयों में पूर्ण मानव शक्ति (Work Force) के साथ कार्य कर सकेंगें। आवश्यकतानुसार ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।

20.L. चारधाम यात्रा:

संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए जारी मानक प्रचलन विधि शासनादेश संख्या – 604/VI/21–83(5)/2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20.M. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं0 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश (संलग्न – Appendix - 01) जैसे देश में R Factor को बढ़ावा न मिले उसके लिए सही कदम उठाना एवं COVID Curfew खुलने के दौरान COVID appropriate behavior के तहत Fivefold Strategy; test-track-treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior एवं इस पत्र में उल्लेखित अन्य दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है।

20.N. General Directives for COVID-19 Management:

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

20.O. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है :–

i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. Persons with co-morbidities.
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

20.P. दंड के प्रावधान:

i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ0 सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

20/1/2021
(एस0 ए0 मुरूगेशन)
सचिव

110

Annexure-1

अजय भल्ला, भा.प्र.से.
AJAY BHALLA, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
नॉर्थ ब्लॉक/North Block
नई दिल्ली/New Delhi

D.O. No. 40-3/2020-DM-I (A) 28th August, 2021

Dear Chief Secretary,

Kindly refer to the MHA Order of even number issued today, vide which MHA Order dated 29.06.2021 issued for the implementation of targeted and prompt actions for COVID-19 management has been extended upto 30th September, 2021.

2. The overall pandemic situation at the national level now appears to be largely stable, except for the localised spread of virus in few States. Moreover, the total number of active cases and high case positivity in some districts continues to remain a matter of concern.

3. The State Governments/UT Administrations concerned, having high positivity in their districts, should take pro-active containment measures so as to effectively arrest the spike in cases and to contain the spread of transmission. It is important to identify warning signs of potential surges early on and to take appropriate measures to curb the spread. This would require a localized approach, as has been mentioned in Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) advisories dated 25.04.2021 and 28.06.2021.

4. State Governments/UT Administrations are further advised to take suitable measures to avoid large gatherings during the coming festive season and if required, impose local restrictions with a view to curb such large gatherings. In all crowded places, COVID Appropriate Behaviour should be strictly enforced. We need to continue focus on the five-fold strategy *i.e.* Test-Track-Treat-Vaccination and adherence to COVID Appropriate Behaviour, for effective management of COVID-19.

5. Enforcement of COVID-19 appropriate behavior is essential for tackling the pandemic on a sustained basis. Weekly Enforcement Data, received from States/UTs regarding wearing facemask in public, maintaining social distancing norms, imposition of fines etc., indicates a downward trend in enforcement. States and UTs are requested to augment their enforcement efforts for effectively checking transmission of the disease.

..Contd..p/**2**..

6. The country has made significant progress in vaccination. The State Governments/UT Administrations should continue with their vaccination programme so as to inoculate maximum number of eligible persons.

7. Further, it must be ensured that areas having no virus or low virus transmission are adequately protected by progressively ramping up testing and other measures like ILI/SARI surveillance, market surveillance, etc. with strict enforcement of COVID Appropriate Behaviour.

8. I would, therefore, urge you to issue strict directions to the district and all other local authorities concerned, to take necessary measures for management of COVID-19. The officers concerned should be made personally responsible for any laxity in strict enforcement of COVID Appropriate Behaviour. I would also advise that Orders issued by the respective State Governments/UT Administrations/district authorities in this regard, should be widely disseminated to the public and to the field functionaries, for their proper implementation.

With regards,

Yours sincerely,

28/05/2021

(Ajay Bhalla)

Chief Secretaries of all States

APPENDEX-2 C-112

संख्या-692/XXXI(15)G/21-04(सा0)/2020

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 26 जुलाई, 2021

विषय– प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों में उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा समय–समय पर प्रदेश के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध निर्गत शासनादेश संख्या–316/XXXI(15)G/2020–04(सा0)/2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं 329/ XXXI(15)G/2020–04(सा0)/2021, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के द्वारा समूह "क" एवं "ख" के अधिकारीगणों की शत–प्रतिशत तथा समूह "ग" एवं "घ" की उपस्थिति 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के समस्त समूह के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत सुनिश्चित कराई जायेगी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था तथा आवश्यक सावधानी बरते जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

क्रमशः 2/

संख्या- /XXXI(15)G/21-04(सा0)/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।